न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 78/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

वनाम

भाई जी कचौरी वाला, पंसदनगर कोटडा, अजमेर जिला–अजमेर
जरिये श्री धमेन्द्र प्रजापति पुत्र श्री मोतीलाल प्रजापति, निवासीः 221, पसंदनगर कोटडा, अजमेर थाना–किश्चियन गंज, अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 01.05.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा श्री अब्दुल सादिक एवं श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारियों के साथ अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा कचौरी बनाते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से घरेलू/व्यवसायिक गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	29129	BPCL	15.9	23.6	7.0	Domestic
2	47328	BPCL	15.8	17.8	2.0	Domestic
3	not readble	BPCL	18.9	18.9	-	N.Domestic
4	094-SI	BPCL	19.0	19.0	-	N.Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ख्वाजा गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक प्रकाश चन्द पुत्र श्री पूरनचंद्र, निवासी– रेगर मौहल्ला, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा उक्त घरेलू/व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हे एक पक्षीय सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 14.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये उक्त घरेलू /व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। उनके द्वारा जरिये जवाब/साक्ष्य, सबूत के प्रार्थना पत्र तथ्यों का खण्डन भी नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू तथा दो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner